2025/814

आदेश
2.12.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

दिनेश बनाम बनवारी आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 180 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
10.10.2025	प्रार्थी दिनेश की तरफ से वकील श्री दयालाराम भाटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा दूधली के ख.नं. 408/147 की 0.253 है. भूमि में अप्रार्थीगण दखल अन्दाजी करने से तथा रहन बैय करने से निषेद्ध रहें व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 10.11.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
10.11.2025	[illegible] पत्रावली दिनांक 7.01.2026	
2.12.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश करते पत्रावली पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थना पत्र में राजीनामा होने के कारण प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में खारिज करवाना चाहते [illegible] मौजूदा स्थिति में खारिज किया [illegible] से कम की जाकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.12.30 18:25:20 IST
Reason: SelfAttested